न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 89/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. कमाल खॉ पुत्र फते खॉ 2. कासम खॉ पुत्र फते खॉ 3. बालू पत्नी मेहरदीन 4. मेहरदीन पुत्र कादर खॉ 5. यूसूफ खॉ पुत्र फते खॉ 6. सकुर खॉ पुत्र फते खॉ समस्त जाति से मुसलमान निवासीगण डेरियो की ढाणी, तहसील लोहावट, जोधपुर।		1. हनीफौ पत्नी साले मोहम्मद जाति से मुसलमान निवासीगण डेरियो की ढाणी, तहसील लोहावट, जोधपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील –दार लोहावट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 07.12.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा राजस्व अपील संख्या 481/2020 अनवान हनीफो पत्नी साले मोहम्मद बनाम तहसीलदार लोहावट में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः13 अगस्त,2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 481/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2020 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.8.2021 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस सुनी।
3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पत्थरगढी करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीनी की ग्राम डेरियां की ढाणी तहसील लोहावट के खसरा नं. 417 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा खातेदारी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि की पेमाइश तहसीलदार, लोहावट के आदेश क्रमांक 174 दिनांक 12.06.2019 की पालना में दिनांक 26.06.2019 को पैमाइश हो चुकी है। इस कारण पैमाइश फर्द दिनांक 26.6.2019 के

13/8/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अनुसार प्रार्थी के खसरा नं. 417 की पत्थरगढी के लिये पुलिस थाना लोहावट से इमदाद करवाई जावें।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा अप्रार्थी के रूप में केवल तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया गया और किसी भी पडोसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थीगण खसरा नं. 418 रकबा 3.9497 हैक्टर ग्राम डेरियो की ढाणी के खातेदार है। इस कारण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने से अपीलाधीन आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है क्योंकि अपीलार्थीगण रेस्पो0 संख्या एक के खातेदारी खसरा संख्या 417 के पडौसी खसरा नं. 418 के रेकर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय में जानबुझ कर अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया और एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त करने काबिल है।

5. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि के खसरान बाबत सभी पक्षकारो की मौजुदगी में निर्विवादित पेमाईस रिपोर्ट आने के उपरांत ही धारा 128 के तहत पत्थरगढी का आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर जो फर्द पेमाईस रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 उपलब्ध करवाई गई थी। वह अपीलार्थीगण की गैर मौजुदगी में एकतरफा बनाई है जिसमें स्पष्ट तौर पर मार्क डी, बी, आई, में मार्क डी.आई. 30 गठठा भूमि खसरा नं. 418 के खातेदार के कब्जे में होना बताया है जिस पेमाईस के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उस स्थान पर रेस्पोडेंट संख्या एक का कब्जा ही नहीं है। बिना कब्जे के किसी खसरे के संबंध में पत्थरगढी का आदेश दिया ही नही जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेमाईस रिपोर्ट को बिना पढे ही आदेश पारित किया हैं जो खारिज करने के काबिल है।

6. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी को अभी दिनांक 24.07.2021 को हल्का पटवारी द्वारा बताया गया की तहसीलदार लोहावट द्वारा खसरा नं. 417 ग्राम डेरिया की ढाणी के पत्थरगढी के संबंध में उपखंड अधिकारी लोहावट के आदेश की पालना में पत्र निकाला है तब अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की नकल ली तो उस समय ज्ञात हुआ की उपखंड अधिकारी लोहावट द्वारा अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस दिये खसरा नं. 417 के संबंध में पत्थरगढी का आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

7. हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थीगण रेस्पो0 संख्या 417 रकबा 07 बीघा 6 बिस्वा भूमि के पडौसी खेत खसरा संख्या 418 रकबा 03.9497 हैक्टर के खातेदार है। जिसकी मौका फर्द में रेस्पो0 संख्या एक की भूमि हिस्से को ख0सं0 418 के खातेदार में होना अंकित किया है जिससे वर्तमान अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक की अपील में पक्षकार के रूप में मात्र तहसीलदार को ही संस्थित किया है जबकि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत प्रभावित/पीडित अथवा व्यथित पक्षकार को भी समुचित सुनवाई

13/8/2021
डिविजनल कमिश्नर

एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना होता है वो प्रकिया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त राजस्व प्रार्थना प्रकरण के विचारण रहने के दौरान नहीं अपनाई गई है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं ठहराया जा सकता है अतः प्रकरण में दोनों पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने तदुपरान्त पुनः यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2020 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें यह निर्देषित किया जाता है कि वे उपरोक्त अपील में वर्णित खसरान भूमि सम्बन्धी प्रकरण में दोनों पक्षकारान को पुनः सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिये जाने तदुपरान्त नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/8/2021

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर